

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

संख्या-1/19/96-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ई.)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग


नई दिल्ली, दिनांक: 27 जुलाई, 2001

अधिसूचना

का०आ०.117.....(अ) राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 148 के खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2001 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54 के उपनियम (13ख) में पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परंतु यह और कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1975 और कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन, तथापि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन के अतिरिक्त अनुज्ञेय होगी ।"



(पी० के० ब्रह्मा)

अपर सचिव, भारत सरकार



टिप्पण:- केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 कांआ० 934 दिनांक 01.04.1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । इन नियमों का, जुलाई 1988 तक संशोधित चौथा संस्करण वर्ष 1988 में मुद्रित किया गया था । नियमों को तत्पश्चात् पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :-

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1.	कांआ०सं० 254	04.02.1989
2.	कांआ०सं० 970	06.05.1989
3.	कांआ०सं० 2467	07.10.1989
4.	कांआ०सं० 899	14.04.1990
5.	कांआ०सं० 1454	26.05.1990
6.	कांआ०सं० 2329	08.09.1990
7.	कांआ०सं० 3269	08.12.1990
8.	कांआ०सं० 3270	08.12.1990
9.	कांआ०सं० 3273	08.12.1990
10.	कांआ०सं० 409	08.12.1990
11.	कांआ०सं० 464	16.02.1991
12.	कांआ०सं० 2287	07.09.1991
13.	कांआ०सं० 2740	02.11.1991
14.	कांआ०सं० 677	07.12.1991
15.	कांआ०सं० 39	01.02.1992
16.	कांआ०सं० 55	15.02.1992
17.	कांआ०सं० 570	19.12.1992
18.	कांआ०सं० 258	13.02.1993
19.	कांआ०सं० 258	13.02.1993
20.	कांआ०सं० 1673	07.08.1993
21.	कांआ०सं० 449	11.09.1993
22.	कांआ०सं० 1984	25.09.1993
23.	कांआ०सं० 389(अ)	18.04.1994
24.	कांआ०सं० 1775	19.07.1997
25.	कांआ०सं० 259	30.01.1999
26.	कांआ०सं० 904(अ)	30.09.2000


(पी० के० बह्ता)

अपर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्राणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

संख्या-1/19/96-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ई.)

नई दिल्ली, दिनांक: 27 जुलाई, 2001

प्रतिलिपि प्रेषित:-

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि को भी प्रेषित :-

1. भात के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 200 अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित ।
(श्री आर.एम.डी.पिल्लै, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी)
2. प्रतिलिपि अग्रेषित संलग्नक सूची के अनुसार ।